

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रामकृष्णमोहन सिंह

राजस्व

प्रकरण क्रमांक नंगरानी 1993-ताना/00 वैरक्ति आदेश देनारा

19-6-06 पारित द्वारा अपर आयुक्त शीघ्र समाप्त शीघ्र प्रकरण इन्हें
413 /अपील /04-05.

पुरुषोत्तम साहा तनय स्व. भै राजा (साहा) (मृतक) वारिसा ।

- 1- श्रीता पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी राजन्द खण्ड बाल
निवासी आर.सी. लॉट अकाल तहसील भु. उमरिया
- 2- श्रीमती सीमा गुरु एवं पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी राजन्द (पुरुष
निवासी बल्लभारत सेवन 3 फरीदाबाद)
- 3- श्रीमती आशा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी कि इन हाइडलवाल
निवासी गर्जपारा दुगं रिहा दुर्घट्टीसगढ़)
- 4- श्रीमती मीरा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी गाकुडान्द खाड़ेलवाल
निवासी भवानी माता पांडिर के पास दुर्घट्टीसगढ़)
- 5- श्रीमती तारा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी
निवासी रतलाम
- 6- श्रीमती मीना पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी अशाव रामहेळवाल
निवासी भागलपुर मुण्डी नौक भौगलपुर बिहार
- 7- श्रीमती शशि पुत्री एवं पुरुषोत्तम साहा पत्नी दिन खण्डलवाल
निवासी बहोद (गुजरात)
- 8- श्रीमती दीपा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम साहा पत्नी बस्ती उपन
निवासी ठीचर कालोनी मह जिला हंदोर मध्य
- 9- श्रीमती नीतू पुत्री स्व. पुरुषोत्तम दास साहा
पत्नी भारत भूषण खण्डलवाल
- 10- अरुण शाहा पुनर रव. पुरुषोत्तम दास साहा
निवासी जयस्तम के पास उमरिया
विरुद्ध

1- सतीश चन्द तनय स्व. श्री हीराला साहा (मृतक) वारिसा ।

अ- श्रीमती छाया शाहा बैवा सतीशचन्द साहा

ब- संदीप पुत्र स्व. राहोशचन्द साहा

स- श्रीमती शिप्रा शाहा एवं सतीशचन्द शाहा

द- श्रीमती शमा एवं सतीशचन्द शाहा

2- मोहलाल तनय रव. श्री हीराला साहा (मृतक) वारिसा ।

क- विजय शाहा

ख- अजय शाहा

ग- संजय शाहा

W

पुत्रगण रख. मोहनलाल शाहा
 घ- श्रीमती भागवर्ती दर्वी पत्नी रख. मोहनलाल श.डा
 3- मानिकचन्द तन्त्र श्री गृहगढ़ चन्द (मत्क) वारियार
 च- मनीश शाहा
 छ- मयंक शाहा
 पुत्रगण रख. मा. नं. ३४५८
 ज- श्रीमती रमादेवी पत्नी रख. मानिकचन्द
 समस्त निवासीगण भाई बांक उमरिया स.प्र
 4- अमरचन्द तन्त्र श्री गृहगढ़ चन्द
 निवासी उमरिया धाना रमारिया लहसील गांवगढ़
 जिला उमरिया स.प्र

असाधारण दस्तावेज़

आवेदक को जोर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा
 अनावेदक को १ फे वारिसो को ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बंलापुरकर

प्राप्ति

(असाधारण दस्तावेज़ को जोर से अधिवक्ता को दिया)

यह निगरानी अपर आदेश, रीवा संभाग श्री. राज इकाया ५/४
 ४१३/अपील/०४-०५ में पारित आदेश (दिनांक १९-०५-०६) द्वारा सभापति
 संकिता, १९५९ (जिसे आगे संकिता का भाग भी कहा जाता है) को धारा ५, द चद प्रस्तुत की गई।

२- प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा १९-०५-०६
 पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुचिभागीय अधेकरण के समक्ष आदेश
 को गई जो उन्होंने दिनांक ५-३-५० को आदम पैरवी में निराद की। इस आदेश
 के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय ने पूर्णांगप्रोप्रेशन अधीक्षन प्रस्तुत होने का आदेश दिया।
 २१-७-०४ को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आदेश, रीवा के सभा लाल
 भागील पेश की गई जिसमें उनके द्वारा आदेश पारित किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्त्ति
 किया गया। प्रकरण प्रत्यावर्त्तिन होने के उपरांत अनुचिभागीय अधेकरण के आदेश परिवर्त्तन
 करते हुए अपील को समय बाह्य दिया रा आदेश दिनांक ११-८-०६ हुए। निराद
 करा। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय। अपील की जो आदेश
 आदेश द्वारा निरस्त की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध यह
 निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

M.

- ३— आवेदक की ओर से 'वेदान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिन्नरूप आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है।
- ४— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उधीनस्थ न्यायालय का आदेश को उचित बताते हुए निराकारी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- ५— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिन्नरूप अवलोकन किया गया। यह प्रकरण नामातरण का है। अपर आयुक्त द्वारा अपर आयुक्त में यह पाया गया है कि दिनांक १०-१-७८ को नामातरण विधिएत हुआ या जिसमें विकल्प अपील अनुपस्थिति से निरस्त हुई थी अनुपस्थिति के अपील निरस्त होना। आवेदक का यह तर्क कि अन्देरा के जागरीकरण का नहीं है अपर आयुक्त विधिसम्मत नहीं माना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि यह जागरीकरण की अपील किस आधार पर प्रस्तुत की गई और इतने लिये अर्से के बाद इस तर्क का लगानी संदहार्यद माना है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को रिहायश्वरी है। प्रकाश की अधिस्थितियों को देखते हुए यह गाया जाना है कि इस प्रकाश के अपर आयुक्त अनुविभागीय अधिकारी के अर्द्धे 'विधिसम्मत, उचित और सांकेतिक गति से' रखा जाने योग्य है।

परिणामतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह निराकारी निरस्त की जाती है।

(Signature)
एमो (फै० सिट)

सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यपद्मा
वालियर